संख्या– /XXVIII(5)/2025-(E-83895)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–5 देहरादूनः दिनांक अगस्त, 2025

विषय– Scheme For Special Assistance to State for Capital Expenditure 2025-26 Part-I **के अन्तर्गत** Strengthening of health infrastructure in Garhwal & Kumaun region **हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–318362/E-9061909(150)2020/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 जुलाई, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Strengthening of Government Medical Colleges of Uttarakhand हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिज एण्ड रूफ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 200.00 करोड़ के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत धनराशि ₹ 199.89 करोड़ के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 80.00 करोड़ को सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 Scheme For Special Assistance to State for Capital Expenditure 2025-26 Part-I(Untide) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित धनराशि ₹ 79.1274 करोड़ (₹ उन्यासी करोड़ बारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपरोक्त धनराशि विषयक कार्यों हेतु Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment2025-26 Part-I(Untide) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या–285880/XXVIII(5)/2025 (E-83895) दिनांक 25 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्धों का अक्षरशः से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

4. आगणन में सिविल कार्यो हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिड्यूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयॉ भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में शासन की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

5. आगणन में प्राविधानित नॉन शेड्यूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) एवं अद्यतन प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मद हेतु ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित कॉलेजों के प्राचार्य तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को होगा।

7. उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली –2017/प्रोक्योरमैन्ट रूल, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुंनिश्चित किया जाय।

8. उक्त धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक उपयोग करते हुए GFR 2017 के Form-12-B प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

9. उक्त धनराशि Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही है। अतः योजना की गाईडलाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग किया जाय।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में 'अनुदान सं0 07' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4059–लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–26–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य (SASCI)–00–के मानक मद '53 वृहद् निर्माण कार्य' के नामें डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड

संख्या–I/323342/2025 दिनांक 18 अगस्त, 2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

3– वित्त विभाग द्वारा निर्गत आई0डी0 संलग्न है।

Digitally signed by Rajan Rajesh Kumar
Date: 19-08-2025 17:07:08

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)

सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

i. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
ii. आयुक्त, कुमॉयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
iii. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
iv. समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
v. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
vi. महाप्रबन्धक, ब्रिज एण्ड रूफ लि0।
vii. गार्ड फाइल।

–
–